

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता हेतु महोबा पुलिस द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 26.11.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस दौरान थानों की पुलिस टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों, उनकी रोकथाम, तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु उपलब्ध सुविधाओं व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें वूमेन पॉवर लाइन- 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा- 112, एम्बुलेंस- 108, चाइल्ड लाइन- 1098, स्वास्थ्य सेवा- 102, महिला हेल्पलाइन- 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन- 1076, साइबर हेल्पलाइन- 1930 साथ ही उन्हें गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई एवं शासन द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका व उनके माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई।

उद्देश्य - महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे ये जन-जागरूकता कार्यक्रम न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सजग और सुरक्षित बनने का संदेश दे रहे हैं, बल्कि समाज में नारी सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक सार्थक कदम हैं।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा "संविधान दिवस" के अवसर पर पुलिस लाइन महोबा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

आज दिनांक 26.11.2025 को संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन महोबा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वंदना सिंह द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराते हुए भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही सभी को संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों एवं मौलिक कर्तव्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार सहित पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन में नियुक्त विभिन्न शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे द्वारा थाना चरखारी में व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ में एवं समस्त कार्यालयों, थाना/चौकियों में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

संविधान दिवस :

भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान का कार्यान्वयन 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। साल 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

संविधान दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
26 नवम्बर



@MahobaPolice



यातायात माह एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत जीजीआईसी महोबा में विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में यातायात माह नवंबर तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.11.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (GGIC) में एक विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी यातायात महोबा, श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया।

यातायात जागरूकता से संबंधित मुख्य बिंदु -

- छात्राओं को दैनिक जीवन से जुड़े आवश्यक यातायात नियमों, स्टॉप-गो-स्लो संकेत, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा का पालन, सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके, एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- अधिकारियों ने कहा—“हेलमेट सुरक्षा के लिए पहनें, चालान से बचने के लिए नहीं।”
- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशात्मक, सूचनात्मक एवं सांकेतिक यातायात चिन्हों की महत्ता समझाई गई तथा छात्राओं को जीवन की सुरक्षा हेतु हमेशा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जागरूकता-

कार्यशाला में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान, थानों में संचालित महिला हेल्पडेस्क, मिशन शक्ति केन्द्र, तथा महिलाओं हेतु उपलब्ध सुरक्षा सेवाएं जैसे 1090, 181, 112 आदि के बारे में बताया गया।

छात्राओं को आत्मरक्षा तकनीकों, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा किसी भी उत्पीड़न/संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला, प्रधानाध्यापक श्रीमती सरगम खरे एवं विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, बड़ी संख्या में छात्राएँ तथा यातायात पुलिस टीम के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



“यातायात माह नवंबर व मिशन शक्ति अभियान के तहत जीजीआईसी में जागरूकता कार्यशाला, छात्राओं को यातायात सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर जोर”

- कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल सरगम खरे सहित विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्राएँ तथा यातायात पुलिस टीम के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में यातायात माह नवंबर एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 26.11.2025 को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया।
 - कार्यशाला में छात्राओं को दैनिक जीवन में आवश्यक यातायात नियमों, स्टॉप-गो-स्लो के संकेत, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, गति सीमा का पालन, सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
 - अधिकारियों ने कहा कि “हेलमेट सुरक्षा के लिए पहनें, चालान से बचने के लिए नहीं।” सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशात्मक, सूचनात्मक एवं सांकेतिक यातायात चिन्हों की महत्ता समझाई गई। सभी से अपील की गई कि “जीवन अनमोल है, वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें और सदैव यातायात नियमों का पालन करें।”
 - इसी क्रम में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्र, महिला हेल्पडेस्क, 1090-181-112 जैसी सुरक्षा सेवाओं एवं महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता तंत्र के बारे में बताया।
 - छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा किसी भी उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया गया।